अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आदेश

पथ प्रमण्डल, बांका अन्तर्गत सुलतानगंज–तारापुर–बेलहर–कटोरिया पथ का निर्माण कार्य (एकरारनामा सं0–6 CMBD/2015-16) के अन्तर्गत संवेदक Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को आवंटित किया गया था।

उप सचिव (उड़नदस्ता), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत–पत्र पत्रांक–प्र0–31/उड़नदस्ता–65/2017–10311 (एस) अनु0 दिनांक–08.11.2017 द्वारा पथ प्रमण्डल बांका में CMBD अन्तर्गत सुलतानगंज–तारापुर–बेलहर–कटोरिया पथ के निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमण्डल सं0–3, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभागीय तकनीकी समिति की समीक्षात्मक टिप्पणी एवं आदेशफलक से संबंधित संचिका के टिप्पणी भाग की उद्धरण की प्रति सहित संवेदक Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Kolkata पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध कराया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–6685 (ई0) दिनांक–27.11.2017 द्वारा संवेदक Topline Infra Projects Pvt. Ltd. से निम्नांकित त्रुटियों/अनियमितताओं हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गयी :–

(i) पथ के कि०मी० 84 एवं ९८ में DBM Gr-II कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 3.555 प्रतिशत पायी गयी है, जो कि प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा के अनुरूप नहीं है।

उक्त के आलोक में संवेदक Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–22.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनः विभागीय पत्रांक–335 (ई0) दिनांक–15.01.2018 द्वारा निदेशित किया गया। संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–TIPPL/23/2018 दिनांक–29.01.2018 द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि पथ प्रमण्डल, बांका अन्तर्गत सुलतानगंज–तारापुर–बेलहर–कटोरिया पथ का निर्माण कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा Tollrance Limit के अन्तर्गत नहीं है।

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क) (ii) एवं विभागीय ज्ञापांक–4104 (ई0) दिनांक–28.10.2009 के अनुरूप एकरारनामा के विहित प्रावधान में चूक के लिए संवेदक Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Premier House-19, Ganesh Chandra Avenue, 2nd floor, Room No-6A, Kolkata-700013 को कार्य में कम अलकतरा की मात्रा की राशि की वसूली का आदेश दिया जाता है।

ह०/–
(भवानी नन्दन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्र0)–171/2017– /पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Premier House-19, Ganesh Chandra Avenue, 2nd floor, Room No-6A, Kolkata-700013 को सूचनार्थ प्रेषित।ह

ह०/–
(भवानी नन्दन)

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य0)–171/2017– /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कम अलकतरा प्रयुक्त करने के कारण मूल्यांकित क्षति की गणना कर आकलित राशि की वसूली संवेदक से करेंगे तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

ह०/–

(भवानी नन्दन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य0)–171/2017– /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(भवानी नन्दन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य0)–171/2017– /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(भवानी नन्दन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य0)–171/2017– 6265(S)/पटना, दिनांक 13/8/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सीडी० सहित प्रेषित।

(भवानी नन्दन) 13/8/19

09/08/19

EE(M)
13/08/2019

प्रस्तुत श्री रविकान्त जी /सहा०

14/8

IT Manager
संपूर्ण Consultant
16/08/19